

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी
-------------	------------------------------------	---

11.06.2025

वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1502, 1539, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1553, 1560, वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कटूमर में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिये कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 29.07.2025 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

**उपस्थित अधिकारी**  
कटूमर (अलवर) राज०

4/7/25

पत्रावली आज वकील सायल के उपस्थित - पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई वकील सायल की ओर से उक्त अधिनियम का प्रयोग विहित छ० ने वकालतनामा पेश कर अपनी प्रार्थना - पत्र नम्बर 212 को उक्त मूल पर खारिज वामे जाने व निवेदन किया गया। प्र० पत्र पत्रावली का अवलोकन किया

पशाराम कुमावत  
कटूमर  
रा०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जमाना जारि के कारनामा कोडिफिकेशन पर          काले गले। जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता          से कराई गई। उक्त जारि का जमाना-          पर २५/२/२०२० वकील जारि का फंड के          बंधान पर इन्हीं क्षेत्र पर खारिज          किया जाता है पत्रावली में मूल रुप          से उक्त नम्बर के अन्त में मूल रुप          के लक्ष सख्तन री। मु. न। म।</p>	<p>उपरोक्त अधिकारी          कटूमर (अलवर) राज०</p>